अध्याय 4

कारण सूची

नियम 38 : दैनिक वाद सूची की तैयारी और प्रकाशन

(1) रजिस्ट्रार अगले कार्य दिवस के लिए वाद सूची तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा, जिसमें **जीएसटीएटी सीडीआर–01** में निर्दिष्ट सभी सूचनाएं सम्मिलित होंगी, प्रत्येक कार्य दिवस को कार्य समय समाप्त होने से पहले अपील अधिकरण और जीएसटीएटी पोर्टल के नोटिस बोर्ड पर;

(2) *अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन, दैनिक वाद सूची में मामलों की सूची प्राथमिकता के निम्निलिखित क्रम में होगी, जब तक कि संबंधित न्यायपीठ द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए, अर्थात :–

(क) आदेश सुनाने के लिए मामले;

(ख) स्पष्टीकरण हेतु मामले;

(ग) प्रवेश के लिए मामले;

(घ) आदेश या निर्देश के मामले;

(ड.) आंशिक रूप से सुने गए मामले, जिनमें नवीनतम आंशिक रूप से सुने गए मामले को प्राथमिकता दी गई हो; तथा

(च) संख्यात्मक क्रम के अनुसार या न्यायपीठ द्वारा निर्देशित अनुसार मामले पोस्ट किए जाएंगे।

(3) रजिस्ट्रार पक्षकारकारों को अपील या आवेदन की सुनवाई की तारीख और स्थान की सूचना देगा।

(4) दैनिक वाद सूची के शीर्षक में अपील की संख्या, बैठक की न्यायपीठ का दिन, तारीख और समय, हॉल संख्या और न्यायपीठ का गठन करने वाले न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों के नामों को दर्शाने वाला कोरम सम्मिलित होगा।

(5) दैनिक वाद सूची में सूचीबद्ध प्रत्येक मामले की संख्या के सामने निम्निलिखित दर्शाया जाएगा, अर्थात् :–

(क) दोनों पक्षों के लिए होने वाली कानुनी व्यवसायियों या प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नाम और कोष्ठक में उन पक्षों के पदनाम दिए जाएंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ख) यदि पक्षकारकारों का प्रतिनिधित्व न हो तो उनके नाम तथा उनकी रैंक कोष्ठक में दी जाएगी।